(1A)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर

क्रमांक एफ. ( ) जोविविनिलि/मु.ले.(ले.एवं रा.)/व.ले..(रा.)/जोध./प्रे..[illegible] दिनांक [illegible]

परिपत्र

पूर्ववर्त्ती वर्षों में विद्युत विपत्रों की राशि के अग्रिम भुगतान का विकल्प कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा अंगीकृत किया जाता था परन्तु गत वर्षों में ऐसे प्रकरण दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं, जबकि इस सम्बन्ध में विद्युत प्रदाय की शर्तें (TCOS)–2004 के उपावन्ध 36 (9 व 10) में वर्णित प्रावधान उल्लेखनीय हैं जहाँ उपभोक्ताओं द्वारा गत वर्ष के आधार पर 6 से 12 माह की औसत बिल राशि अग्रिम जमा करवाने पर वित्तीय वर्ष की एक अप्रेल को विद्यमान बैंक दर के समनुरूप ब्याज देने का उल्लेख किया गया है। उक्त ब्याज की राशि का समायोजन उपभोक्ता के अंतिम बिल में किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा 6 माह से न्यून अवधि की अग्रिम बिल राशि भी जमा करवायी जा सकती है, परन्तु उस स्थिति में ब्याज देय नहीं होगा।

विद्युत प्रदाय की शर्तें (TCOS)–2004 के उक्त प्रावधान का उपभोक्ताओं के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार करना आवश्यक है ताकि इच्छुक व्यक्ति इस प्रावधान से लाभान्वित हो सके। अतः माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेशानुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उपभोक्ताओं को उक्त उपावन्ध के अनुसार अग्रिम जमा का विकल्प अंगीकार कर लाभान्वित होने हेतु अधिक से अधिक प्रेरित करने की दिशा मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवं राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियंता (मुख्यालय/) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर
2. संभागीय मुख्य अभियंता(जोधपुर संभाग/बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ...।
4. अधीक्षण अभियंता( ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...।
6. लेखाधिकारी ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ...।
7. अधिशाषी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. तकनीकी सहायक/निजी सहायक–निदेशक(तकनीकी/वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

(हस्ताक्षर)
मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवं राजस्व)

Scanned with CamScanner